

**1**      **आपराधिक प्रकरण क्रमांक 700501 / 2016ईफौ**

न्यायालय— प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक 700501 / 2016

संस्थापित दिनांक 17 / 08 / 2016

फाइलिंग नंबर — 3010852016

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—  
गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

.....अभियोजन

**बनाम**

1. सुनील राठौर पुत्र धनीराम राठौर उम्र—28 वर्ष  
निवासी— शर्मा फार्म चार शहर का नाका हजीरा  
जिला ग्वालियर

..... अभियुक्त

(अपराध अंतर्गत धारा—279, एवं 337 भा0द0सं0)  
(राज्य द्वारा एडीपीओ—श्री प्रवीण सिकरवार।)  
(आरोपी द्वारा अधिवक्ता—श्री हृदेश शुक्ला।)

**:- निर्णय :-**

(आज दिनांक 19 / 07 / 2017 को घोषित)

आरोपी पर दिनांक 20.11.2015 को दिन के 11:00 बजे सर्वोदया स्कूल के पास छतरपुरा गोहद में लोक मार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन लोडिंग बुलैरो क्र0 एमपी30 जी 0863 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करते हुए फरियादी सुरेश कुमार की पत्नि आहत इंद्रकली में टक्कर मारकर उसे चोट पहुंचाकर उसे साधारण उपहति कारित करने हेतु भा0द0सं0 की धारा 279, 337, के अंतर्गत अपराध विवरण निर्मित किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 20.11.2015 को फरियादी सुरेश कुमार अपनी पत्नि व अनूप के साथ सर्वोदय स्कूल के पास सिलेंडर लेने साइकिल से गई थी तभी सामने से बुलैरो लोडिंग क्र0एमपी30 जी 0863 का चालक वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया था एवं उसकी पत्नि इंद्रकली के टक्कर मार दी थी जिससे इंद्रकली के बांये पैर की एडी में एवं दाहिने घुटने में चोटें आई थी। मौके पर उसकी बहन ममता एवं उसका लडका अनूप मौजूद थे जिन्होंने घटना देखी थी उसने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना गोहद में की थी। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना गोहदमें अपराध क्रमांक 02 / 14 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा बनाया गया था। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे आरोपी को गिरफ्तार किया गया था एवं विवेचनापूर्ण होने पर अभियोगपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

3. उक्त अनुसार आरोपी के विरुद्ध अपराध विवरण निर्मित किया गया आरोपी को अपराध की विशिष्टियां पढ़कर सुनाई व समझाई जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है आरोपी का अभिवाक अंकित किया गया।

4. यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में विचारण के दौरान फरियादी सुरेश एवं आहत इंद्रकली द्वारा आरोपी से स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दवाब के राजीनामा कर लेने के कारण आरोपी को पूर्व में ही भा0दं0सं0 की धारा 337 के आरोपी से दोषमुक्त किया जा चुका है एवं आरोपी के विरुद्ध मात्र भा0दं0सं0 की धारा 279 के अंतर्गत विचारण शेष है।

5. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपी ने कथन किया है कि वह निर्दोष है उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।

6. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुआ है :-

1. क्या आरोपी ने दिनांक 20.11.15 को दिन के 11:00 बजे सर्वोदय स्कूल के पास छतरपुरा गोहद में लोक मार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन लोडिंग बुलैरो क्र0 एमपी30 जी 0863 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया?

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अभियोजन की ओर से फरियादी सुरेश अ0सा01 आहत इंद्रकली अ0सा02 एवं राजकुमार अ0सा03 को परीक्षित कराया गया है। जबकि आरोपी की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण  
विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1

8. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी सुरेश अ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग दो साल पहले की है वह अपनी पत्नि इंद्रकली व लडके अनूप के साथ सिलैण्डर लेने गया था तभी सर्वोदय स्कूल के पास उसकी पत्नि की एक लोडिंग वाहन से टक्कर हो गई थी जिससे उसकी पत्नि की बांये पैर एवं दाहिने घुटने में चोट आई थी उसने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना गोहद में की थी जो प्र0पी01 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। नक्शामौका प्र0पी0 2 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि घटना दिनांक को बुलैरो लोडिंग क्र0 एमपी30 जी 0863 के चालक ने वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर उसकी पत्नि इंद्रकली के टक्कर मार दी थी। उक्त साक्षी ने इस तथ्य से भी इंकार किया है कि उसने उक्त बात अपनी रिपोर्ट प्र0पी01 एवं पुलिस कथन प्र0पी03 में पुलिस को लिखाई थी।

9. आहत इंद्रकली अ0सा02 ने भी अपने कथन में बताया है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से दो साल पहले की है वह अपने पति सुरेश एवं लडके अनूप के साथ सिलैण्डर लेने जा रही थी तभी सर्वोदय स्कूल के पास लोडिंग वाहन से उसकी टक्कर हो गई थी जिससे उसके चोटें आई थीं जिसकी रिपोर्ट उसके पति ने थाना गोहद में की थी। उक्त साक्षी को भी अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपित बुलैरो क्र0 एमपी30 जी 0863 के चालक ने वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर उसे टक्कर मार दी थी।

10. साक्षी राजकुमार अ0सा03 ने भी अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं व्यक्त किया है कि वह आरोपी सुनील राठौर को नहीं जानता है वह वाहन क्र0 एमपी30 जी 0863 का पंजीकृत स्वामी है पुलिस ने उससे कोई प्रमाणीकरण नहीं लिया था उसकी गाडी का चालान हो गया था उक्त साक्षी को भी अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने भी अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि घटना दिनांक को आरोपित वाहन को आरोपी सुनील चला रहा था एवं इस सुझाव से भी इंकार किया है कि आरोपी सुनील ने तेजी व लापरवाही से वाहन को

चलाकर इंद्रकली में टक्कर मार दी थी।

11. तर्क के दौरान बचाव अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षी के कथन परस्पर विरोधाभासी रहे हैं। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।

12. प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि फरियादी द्वारा आरोपी से राजीनामा कर लेने के कारण आरोपी को पूर्व में ही भा0द0सं0 की धारा 337 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है एवं आरोपी के विरुद्ध मात्र धारा 279 के अंतर्गत विचारण शेष है। उक्त संबंध में फरियादी सुरेश अ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में उसकी पत्नि इंद्रकली का एक्सीडेंट होना तो बताया है परंतु उक्त साक्षी द्वारा यह नहीं बताया है कि दुर्घटना कारित करने वाले वाहन का नंबर क्या था एवं उसे कौन चला रहा था। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किए जाने पर भी उक्त साक्षी ने इस तथ्य से इंकार किया है कि घटना दिनांक को आरोपित बुलैरो क्र0एमपी30 जी 0863 के चालक ने बुलैरो को तेजी व लापरवाही से चलाकर उसकी पत्नि इंद्रकली में टक्कर मार दी थी।

13. आहत इंद्रकली अ0सा02 ने भी अपने कथन में उसका एक्सीडेंट होना तो बताया है परंतु यह नहीं बताया है कि दुर्घटना कारित करने वाले वाहन का नंबर क्या था एवं उसे कौन चला रहा था उक्त साक्षी को भी अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उक्त साक्षी ने इस तथ्य से इंकार किया है कि आरोपित बुलैरो क्र0 एमपी30 जी 0863 के चालक ने बुलैरो को तेजी व लापरवाही से चलाकर उसे टक्कर मार दी थी।

14. साक्षी राजकुमार अ0सा03 जो कि आरोपित बुलैरो क्र0 एमपी30 जी 0863 का पंजीकृत स्वामी है ने भी अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं व्यक्त किया है कि वह आरोपी सुनील को नहीं जानता है। उक्त साक्षी ने मात्र प्र0पी05 के प्रमाणीकरण पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है तथा यह भी व्यक्त किया है कि पुलिस ने उससे कोई प्रमाणीकरण नहीं लिया था उसकी गाडी का चालान हो गया था जिस कारण पुलिस ने उससे कोरे कागज पर हस्ताक्षर कराए थे। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किए जाने पर उक्त साक्षी ने भी अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया है।

15. इस प्रकार प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि प्रकरण में फरियादी सुरेश अ0सा01 एवं आहत इंद्रकली अ0सा02 तथा राजकुमार अ0सा03 द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। उक्त साक्षीगण के अतिरिक्त किसी अन्य साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियोजन के द्वारा अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है कि आरोपी ने घटना दिनांक को आरोपित बुलैरो क्र0 एमपी30 जी 0863 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानवजीवन संकटापन्न किया था। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के अभाव में आरोपी को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।

16. यह अभियोजन का दायित्व है कि वह आरोपी के विरुद्ध अपना मामला प्रमाणित करें यदि अभियोजन मामला प्रमाणित करने में असफल रहता है तो आरोपी की दोषमुक्ति उचित है।

17. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 20.11.15 को दिन के 11:00 बजे सर्वोदय स्कूल के पास छतरपुरा गोहद में लोक मार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन लोडिंग बुलैरो क्र0एमपी30 जी 0863 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया। फलतः यह न्यायालय साक्ष्य के अभाव में आरोपी सुनील को भा.द.स. की धारा 279 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

18. आरोपी पूर्व से जमानत पर है उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते हैं।

19. प्रकरण में जप्तशुदा बुलैरो क्र0 एमपी30 जी 0863 पूर्व से उसके पंजीकृत स्वामी की सुर्पुदगी पर है। अतः उसके संबंध में सुर्पुदगीनामा अपील अवधि पश्चात निरस्त समझा जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

स्थान – गोहद

दिनांक – 19.07.17

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित

कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही / –

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

सही / –

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)